कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग,
वै”ााली भवन प्रमंडल, हाजीपुर

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–42 हाजीपुर/2017–18

1. निविदादाता का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियन्ता, वै”ााली भवन प्रमंडल, हाजीपुर
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 15.01.2018 के 1:00 बजे अपराहन् तक
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 16.01.2018 के 3:00 बजे अपराहन् तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 16.01.2018 के 3:30 बजे अपराहन्
5. परिणाम विपत्र की बिक्री स्थान : (क) अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर
   (ख) कार्यपालक अभियन्ता, वै”ााली भवन प्रमंडल, हाजीपुर
   (ग) सहायक अभियन्ता, भवन अवर प्रमण्डल सं0 – 2, हाजीपुर
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान : क्रमांक 5 वर्णित स्थान
7. निविदा वैधता की तिथि : 120 दिन

कार्यो का विवरणी :–

8. समूचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आरक्षित / अनारक्षित
1	2	3	4	5		7
1.	मंडल कारा हाजीपुर के महिला बंदी वार्ड में 5(पाँच) शैय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण कार्य	7,76,700	15600	1250	चार माह	अनुसूचित जाति

9. कार्य की प्राक्कलित राशि घट/बढ़ सकती है । तदनुसार अग्रधन की रा”ि / परिमाण–विपत्र के मूल्य में अन्तर हो सकता है । अनुमोदित परिमाण–वित्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि एवं परिमाण–विपत्र का मूल्य देय होगा ।
10. निविदा कागजात का मूल्य, (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में, कार्यपालक अभियंता, वै”ााली भवन प्रमंडल, हाजीपुर के पदनाम से तथा भरतीय स्टेट बैंक, हाजीपुर में भुगतेय हो जमा करना होगा ।
11. निविदा की प्रका”ान की तिथि के प”चात् अग्रधन की रा”ि कार्यपालक अभियंता, वै”ााली भवन प्रमंडल, हाजीपुर के नाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त (Pledged) एवं निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम एक साल के लिए विधिमान्य (1) बिहार राज्य के अंतर्गत निर्गत, राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र अथवा (2) डाकघर 3/5 वर्षीय सावधि जमा अथवा (3) बिहार राज्य के अन्दर निर्गत किसान विकास पत्र के रूप में होना चाहिए।
12. मूहरबंद लिफाफे में निविदा कागजात जमा करने के साथ वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण–पत्र, निबंधन प्रमाण–पत्र, श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना होगा।

13. (i) घोशणा का भापथ पत्र (मूल में)।

“मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) .... सुपुत्र/ सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:–

(क) मेर/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित(Debar),काली सूची में दर्ज(Black listed)नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारे कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) शपथ–पत्र नन ज्यूडिशियल स्टाम्प 100 रूपये एवं अधिवक्ता कल्याण निधि का 15 रूपये अर्थात् कुल 115 रूपये के स्टाम्प पर ही मान्य होगा।

14. आरक्षित कार्य की निविदा हेतु आरक्षित कोटि के संवेदकों को सरकार के विभिन्न विभागों/निगम/उपक्रम/प्राधिकार/परिषद /निकाये द्वारा एक वित्तीय वर्ष में आवंटित कार्यो की अधिकतम सीमा 25(पच्चीस) लाख रूपये है । इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र (मूल में) के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यो की कुल रा”ि की सूचना निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा । शपथ–पत्र नन ज्यूडिशियल स्टाम्प 100 रूपये एवं अधिवक्ता कल्याण निधि का 15 रूपये अर्थात् कुल 115 रूपये के स्टाम्प पर ही मान्य होगा।
15. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित होंगे, जिनका debar या काली सूची में नाम है। संवेदक को इस आ”ाय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि किसी विभाग में debar या काली सूची में नाम नहीं है।

16. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, वै"ााली भवन प्रमंडल, हाजीपुर/ अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
17. बिना कारण बताये निविदा आमंत्रण सूचना में किसी एक कार्य या सभी कार्य को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
18. कुल प्राक्कलित रा"ा में वास्तविक खर्च का एक प्रति"ात निर्माण श्रमिकों के लिए शेष के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जाएगा।
19. निधि की उपलब्धता सुनि"चत होने पर ही एकरारनामा एवं भुगतान की प्रक्रिया किया जाएगा। संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
20. क्रमांक–3 एवं 4 में किसी दिन अवका"ा घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
21. कार्य पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का सरकारी उपकरण अथवा सामग्री संवेदक को नहीं दिया जाएगा।
22. परिमाण विपत्र के दर से अधिकतम 10% (दस प्रति"ात) कम दर की निविदा हीं मान्य होगी, उससे ज्यादा कम दर की निविदा मान्य नहीं होगी।
23. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की रा"ा पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
24. स"ार्त्त निविदा अमान्य होगा।
25. नए कार्य के लिए तीन वर्ष एवं वि"ोष मरम्मति कार्य के लिए एक वर्ष Defect Liability रहेगा।
26. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट **www.prdbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियन्ता,
वै"ााली भवन प्रमंडल, हाजीपुर

SIZE-12X2=120 SQ CM
DOP-02.01.2018
RO NO-11669 DT-01.01.2018
DAINIK JAGRAN, PATNA
SANMARGE, PATNA